



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com



संचिका/पत्र संख्या-8/कृ०नि०यो०वि०-36/14 162 कृ०, पटना, दिनांक 16-01-2020

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture



कार्यालय आदेश

सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कृषि यांत्रिकरण योजना 2019-20 अन्तर्गत यंत्रों पर अनुदान प्राप्ति हेतु जीविका समूहों के लिए LPC (भूमि स्वामिव प्रमाण-पत्र) की बाध्यता नहीं रहेगी।

अतएव कृषि यांत्रिकरण योजना के कार्यान्वयन अनुदेश 2019-20 के कंडिका संख्या-7 में उप कंडिका संख्या-XX के रूप में "जीविका समूहों के लिए LPC (भूमि स्वामिव प्रमाण-पत्र) की अनिवार्यता नहीं रहेगी" को शामिल किया जाता है। कंडिका संख्या-7 के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 16-01-2020

ज्ञापांक : 162

प्रतिलिपि:-सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 16-01-2020

ज्ञापांक : 162

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।